संoसंo :– निग/सारा–03–परि0–01–49/2009(अंश)....................

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

श्री जगदीश मुण्डा, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिकी), मुख्य (या०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध तदेन सहायक अभियंता (यांत्रिक) यात्रिक, पथ प्रमंडल रांची के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित प्रतिवेदित अनियमितताओं एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0– 2952(3) दिनांक 29.05.2010 के द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5340 (S) दिनांक 17.09.2010 के द्वारा उनके विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

श्री मुण्डा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री मुरारी भगत, मुख्य अभियंता, राष्टीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–415 (WE) दिनांक 20.03.2011 द्वारा उपलब्ध करायी गई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मुण्डा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इससे असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन एवं असहमति के बिन्दू के साथ पत्रांक– 5967(S) दिनांक 09.09.2011 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। इसके अनुपालन में श्री मुण्डा द्वारा प्राप्त पत्रांक शून्य दिनांक–22.09.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्री मुण्डा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब के समीक्षोपरांत अधिसूचना सं०– 8065 (S) दिनांक 05.12.2011 द्वारा श्री मुण्डा को निलंबन मुक्त कर निम्नकित दंड निर्णय संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही में निस्तारित किया गया है:–

i) 'निन्दन' का दण्ड (घटना वर्ष 2008–09) तथा

ii) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम – 97 के तहत इन्हें निलंबन के रूप में बितायी गयी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री मुण्डा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय अधिसूचना सं0– 7291 (S) दिनांक 10.10.2012 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

श्री मुण्डा द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No– 6293/2014 जगदीश मुण्डा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 28.04.2025 को आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश दिनांक– 28.04.2025 का operative part निम्नवत् है:–

"Para 6- Having regard to the admitted fact that no second show cause notice, before passing the order under Rule 97 of the Code, was ever issued to the petitioner, the instant writ application stands allowed with respect to the punishment No& 2 only- However, the concerned respondent would be at liberty to proceed in the matter by issuing specific show cause notice with regard to Rule-97 of the code, if so advised-"

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में जाँच प्रतिवेदन एवं असहमति के बिन्दू के साथ पत्रांक 3145 (S) WE दिनांक–08.08.2025 द्वारा श्री मुण्डा से निम्न बिन्दू पर द्वितीय

कारण पृच्छा की गई है:–

आपके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबन अवधि दिनांक 30.05.2010 से दिनांक 05.12.2011 तक के लिए झारखण्ड सेवा सहिता के नियम 97 के तहत् आपको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा।

श्री मुण्डा द्वारा कारण पृच्छा का जवाब पत्र दिनांक 18.08.2025 द्वारा समर्पित किया गया है। श्री मुण्डा का जवाब निम्नवत् है:–

1) श्री समीर कुमार लकड़ा, कार्यपालक अभियंता, जिनके विरूद्ध भी राँची–पतरातु पथ का विशेष मरम्मति कार्य से संबंधित आरोप के प्रसंग में कार्रवाई की गई है, के द्वारा दायर रिट याचिका W.P.(S) No- 7529/2012 में पारित न्यायादेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा माना गया है कि विभागीय समीक्षा में अनुशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शंकाओं के आधार पर कार्रवाई की गई और कोई वस्तुगत् तथ्यों की समीक्षा नहीं की गई, जिसपर संचालन पदाधिकरियों द्वारा विचार नहीं किया हो।

2) माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश दिनांक 28.04.2025 में प्रतिवादी को नियम 97 के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा आदेश जारी करने की स्वतंत्रता इस आधार पर दी गई है कि सेवा संहिता के किसी नियम में 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् द्वितीय कारण पृच्छा आदेश जारी करने का उल्लेख हो।

श्री मुण्डा द्वारा आरोप से सबंधित असहमति के बिन्दुओं का जवाब नहीं देकर इससे इतर तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए इनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत किया जाता है।

श्री मुण्डा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके निलंबन अवधि दिनांक 30.05.2010 से दिनांक 05.12.2011 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 (1) (क) एवं (ख) तथा (2) के तहत् निम्नवत् विनियमित किया जाता है:–

"श्री मुण्डा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उनके निलंबन अवधि दिनांक–30.05.2010 से दिनांक 05.12.2011 तक के लिए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 (1) (क) एवं (ख) तथा (2) के तहत् उनको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा। परन्तु इस अवधि की परिगणना मात्र पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– निग/सारा–03–परि0–01–49/2009(अंश) 2794 **/राँची, दिनांक :–** 25/09/25

प्रतिलिपि:– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.09.25

सरकार के विशेष सचिव।

25/9/25